दिनांक 22.04.2021

सराहनीय कार्य जनपद बिजनौर

थाना हीमपुर दीपाः- थाना हीमपुर दीपा पुलिस द्वारा अभियुक्त सोमबीर s/o राजवीर नि0 ग्राम रावटी थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

थाना स्योहाराः- थाना स्योहारा पुलिस द्वारा अभियुक्त असलम पुत्र अमानत सहा निवासी मौहल्ला मुरादाबादी गेट थाना कोतवाली शहर जनपद अमरोहा को नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। जिस संबंध में थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 230/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

थाना मंडावरः- थाना मंडावर पुलिस द्वारा द्वारा अभियुक्त तहजीम पुत्र कयूम व रियाज पुत्र निसार निवासीगण ग्राम किशन वास थाना मंडावर जनपद बिजनौर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

थाना रेहडः- थाना रेहड पुलिस द्वारा अभियुक्त सोहन सिंह पुत्र रामोतार नि0 फतेहपुर धारा थाना रेहर जनपद बिजनौर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

थाना हीमपुर दीपाः- राशिद कुरेशी पुत्र मौला कुरेशी उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम सब्दलपुर थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर की ग्राम सब्दलपुर में भैंस का मीट बेचने का लाइसेंस है। जिसकी आड़ लेकर राशिद अपने साथियों के साथ मिलकर स्वंय ही अवैध रूप से भैंस एवं भैंसा का दुकान में ही कटान करके चोरी छुपे मीट बेचने का काम करता है। आज दिनांक 22.04.2021 को थाना हीमपुर दीपा पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम सब्दलपुर स्थित राशिद की दुकान के अंदर अवैध रूप से भैंसे का वध करके मीट बेचते हुए (1) नजाकत पुत्र दौला (2) तोला पुत्र अमीर वक्श कुरेशी (3) दानिश पुत्र मौला कुरेशी (4) रियासत पुत्र मौला कुरेशी (5) जुबेर पुत्र मौला कुरेशी निवासीगण ग्राम सब्दलपुर थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर को ताजा बंद किए गए भैंसा की खाल, पैरों के खुर, 05 किलो भैंसे का मीट, भैंसा काटने के उपकरण, 04 तलवार नुमा छुरी, 01 लकड़ी गुटका, 01 कुल्हाड़ी, 04 रस्सी, मीट तोलने के उपकरण, तराजू, बाट एवं 9500/- रुपए नकद सहित गिरफ्तार किया गया। मौके से राशिद पुत्र मौला फरार हो गया। जिसकी गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी है। इस संबंध में थाना हीमपुर दीपा पर मु0अ0सं0 43/2021 धारा 269/270/290/429/188/34 आईपीसी पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना शेरकोटः- थाना शेरकोट पुलिस द्वारा अभियुक्त1- मुस्तकीम 2- सुल्तान अहमद 3- रिजवान अहमद 4- नासिर अहमद पुत्रगण अली हसन निवासी मोहल्ला तराई कस्बा व थाना शेरकोट जनपद बिजनौर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

जनपद बिजनौर दिनांक 22-04-2021

आज दिनांक **22.04.2021** को जनपदीय एंटी रोमियो टीम प्रभारी द्वारा उ0प्र0 सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन के लिये “मिशन शक्ति” के रूप में विशेष अभियान के अन्तर्गत क्षेत्र की महिलाओं व स्कूल/कॉलेज की छात्राओं/बालिकाओं को पंपलेट वितरित कर मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान की गयी महिलाओं/छात्राओ को जागरूक किया और हैल्पलाईन नंबर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** आदि व जनपद के सभी थानो पर खुले महिला हेल्प डेस्क के महत्व के सम्बन्ध में जागरूक किया तथा भीडभाड वाले स्थानो बाजारो में मंचलो पर शिकंजा कसा गया।